रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 729] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 936(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पैटेंट कार्यालय (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पैटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय के पैटेंट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक पैटेंट कार्यालय, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—**ये नियम इन नियमों के अनुबंध में दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—वह व्यक्ति**,

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या;

(ख). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
प्रशासनिक अधिकारी	4* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-10, (56100-177500 रू.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
पदोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 7 के ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं**:	प्रत्येक परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

की हो और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर या सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आई.एस.टी.एम.) या राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान से प्रशासन (स्थापन और सेवा मामले), सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.), सरकारी ई-मार्केट (जे.एम.) के क्षेत्र में 2 से 4 हफ्ते का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी**:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण कर रहे हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-9 (53100- 167800 रू) या स्तर 8 (47600 – 151100 रू) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापन कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य 3. पेटेंट और डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक –सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति: 1.संयुक्त सचिव (प्रशासन, पेटेंट और डिजाइन एवं ट्रेड मार्क के महानियंत्रक कार्यालय के लिए) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग –अध्यक्ष 2. पेटेंट और डिजाइन एवं ट्रेड मार्क महानियंत्रक –सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य	

अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**पे-मैट्रिक्स में लेवल**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी	*06 (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ('ख') राजपत्रित अनुसचिवीय	लेवल-07, (44900-142400 रू.)	चयन पद

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति द्वारा	**पदोन्नति:** **लेवल 6 के पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रू.) में कार्यालय अधीक्षक के रूप में इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।** **टिप्पणी:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:** 1. पेटेंट और डिजाइन एवं ट्रेड मार्क और भौगोलिक उपदर्शन महानियंत्रक –अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. पैटेंट और डिजाईन के ज्येष्ठ संयुक्त महानियंत्रक/संयुक्त महानियंत्रक/उप-महानियंत्रक-सदस्य 3. ट्रेड मार्क और भौगोलिक उपदर्शन के उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार/ज्येष्ठ परीक्षक -सदस्य	

[फा. सं. पी-24023/4/2017-आईपीआर-I]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

G.S.R. 936(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Patent Office (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Administrative Officer and Assistant Administrative Officer in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Patent Office in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Patent Office, Administrative Officer and Assistant Administrative Officer Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person**:-**(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living., or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non–selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Administrative Officer.	4* (2019) * (Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Assistant Administrative Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) with three years' regular service in the grade and successfully completed 2 to 4 weeks training in the field of administration (establishment and service matters), General Finance Rules (GFR), Government e-Market (GeM) at Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur or Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or National Institute of Financial Management. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member; 3. Controller General of Patents and Designs and Trade Marks – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

DEPUTATION: Officers under the Central or State Governments or Union Territories: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-9 (Rs. 53100-167800/-) or level-8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; (B) possessing the following educational qualification and experience: i) Bachelor's degree from a recognised University or Institute; and ii) Three years experience in accounts, administration, establishment work in a Government office or Public Sector Undertakings or Autonomous Body or Statutory Body. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (Including short-term contract) including the period of deputation (Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding Fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (Administration, for Office of Controller General of Patents and Designs and Trade Marks) Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman; 2. Controller General of Patents and Designs and Trade Marks – Member. 3. Deputy Secretary/Director (Administration) Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Administrative Officer.	6* (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Level-7 (Rs. 44900-142400/-)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or Deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Office Superintendent in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) with five years'	Group B Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indications – Chairman; 2. Senior Joint Controller or Joint Controller or Deputy Controller of Patents and Designs – Member; 3. Deputy Registrar or Assistant Registrar or Senior Examiner of Trade Marks and Geographical Indications – Member.	

[F. No. P-24023/4/2017-IPR-I]

RAVINDER, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.26 19:01:55 +05'30'